लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4362
जिसका उत्तर बुधवार, 26 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर को समाप्त करना

4362. श्री शेर सिंह घुबाया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के बड़े मॉल और बाजार की अन्य दुकानों के बीच अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अंतर को समाप्त करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और इसके किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा;
(ग) क्या सरकार की मूल्य निर्धारण नीति को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 18(2) में प्रावधान है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पैकबंद रूप में वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 36 में अधिनियम और विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में एमआरपी से अधिक कीमत पर पैकबंद वस्तुएं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। राज्य सरकारें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन न करने पर निरीक्षण करती हैं और जुर्माना लगाती हैं।

उक्त नियम के नियम 18(2क) में प्रावधान है कि कोई भी विनिर्माता, पैककर्ता या आयातक एक समान पूर्व-पैकबंद वस्तु के लिए अलग-अलग एमआरपी घोषित नहीं कर सकता है।

उपभोक्ता मामले विभाग "जागो ग्राहक जागो" के तत्वावधान में देश भर में मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न कर रहा है। इसके लिए वह ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, मेले और त्यौहारों जैसे पारंपरिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया का उपयोग करके देश भर के हर उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। सरल संदेशों और जिंगल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ता मुद्दों और निवारण की व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाता है। विभाग स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान भी जारी कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के तहत विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों, मानकों, निवारण तंत्र आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए टी-20 विश्व कप के दौरान ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के माध्यम से अभियान चलाया, आईवीआरएस (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) अभियान, पंचायतों के साथ पैन-इंडिया इंटरएक्टिव सेसन (जो अभी जारी है) अभियान चलाया।

****